

## उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद अधिनियम, 2000

### (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 31 अक्टूबर, 2000 को अनुमति प्रदान की और उत्तर प्रदेश गजट असाधारण में दिनांक 1 नवम्बर, 2000 को प्रकाशित हुआ।]

राज्य में माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् की स्थापना और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

### अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2000 कहा जायगा।

(2) यह 30 सितम्बर, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2—इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् से है ;

(ख) "केन्द्र" का तात्पर्य परिषद् द्वारा अपनी परीक्षाओं आयोजित करने के लिए नियत की गयी संस्था या स्थान से है और इसमें उससे सम्बद्ध समस्त भू-गृहादि भी सम्मिलित है;

(ग) "निदेशक" का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से है;

(घ) "संस्था के प्रधान" का तात्पर्य उस संस्था के, यथास्थिति, प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक से है ;

(ङ) "निरीक्षक" का तात्पर्य जिला विद्यालय निरीक्षक से है और इसके अन्तर्गत इस अध्यादेश के अधीन निरीक्षक के सभी या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है;

(च) "संस्था" का तात्पर्य परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे किसी संस्कृत विद्यालय से है जिसमें उत्तर मध्यमा तक की संस्कृत शिक्षा दी जाती हो;

(छ) "अन्तरीक्षक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी केन्द्र पर परीक्षाओं के संचालन और पर्यवेक्षण में केन्द्र के अधीक्षक की सहायता करे;

(ज) "मान्यता" का तात्पर्य परिषद् की परीक्षाओं में बैठने के लिए अभ्यर्थियों को तैयार करने के प्रयोजन के निमित्त प्रदान की गयी मान्यता से है;

(झ) "सम्भागीय संयुक्त निदेशक" का तात्पर्य किसी सम्भाग के प्रभारी शिक्षा संयुक्त निदेशक से है और इसमें सम्भागीय संयुक्त निदेशक के समस्त कर्तव्यों या उनमें से किसी का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भी सम्मिलित है;

(ञ) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है;

(ट) "केन्द्र अधीक्षक" का तात्पर्य परिषद् की परीक्षाओं के संचालन और पर्यवेक्षण के लिए परिषद् द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति से है और इसमें अपर अधीक्षक भी सम्मिलित है;

(ठ) किसी परीक्षार्थी के सम्बन्ध में, जब कि वह किसी परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर दे रहा हो, "अनुचित साधन" का तात्पर्य अप्राधिकृत रूप से किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता से या किसी रूप में लिखित, अंकित (रेकार्ड), प्रतिलिपिकृत या मुद्रित किसी सामग्री की सहायता से, या किसी टेलीफोन, वायरलेस या इलेक्ट्रानिक या अन्य यन्त्र या जुगत के अप्राधिकृत प्रयोग से है।

3—(1) ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् के नाम से एक परिषद् स्थापित की जायगी।

(2) परिषद् एक निगमित निकाय होगी।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

परिभाषाएँ

परिषद का संघटन

(3) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

- (क) निदेशक, जो परिषद् का अध्यक्ष होगा ;
- (ख) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट, दो प्रधान ;
- (ग) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट, दो अध्यापक ;
- (घ) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय का, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट, एक विज्ञान अध्यापक ;
- (ङ.) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित किसी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज का, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट, एक प्राचार्य या विभागाध्यक्ष;
- (च) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्कृत महाविद्यालयों के, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट, दो प्राचार्य;
- (छ) राज्य की विधान सभा द्वारा निर्वाचित उक्त सभा के दो सदस्य;
- (ज) राज्य के विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित उक्त परिषद् का एक सदस्य ;
- (झ) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट तीन शिक्षाविद ;
- (ञ) निदेशक, संस्कृत अकादमी उत्तर प्रदेश ;
- (ट) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट उद्योग के दो प्रतिनिधि;
- (ठ) निदेशक, राजकीय विज्ञान शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश ;
- (ड) प्राचार्य, केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्था, इलाहाबाद ;
- (ढ) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो उप निरीक्षक संस्कृत विद्यालय ;
- (ण) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी का कुलपति या उसका नाम निर्देशिनी जो उपाचार्य से निम्न पंक्ति का न हो;
- (त) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के दो विभागाध्यक्ष ;
- (थ) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट ऐसा कोई अधिकारी, जो उपनिदेशक शिक्षा से निम्न पंक्ति का न हो, जो सदस्य-सचिव होगा;
- (द) निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला, उत्तर प्रदेश;
- (ध) उप निदेशक, संस्कृत, उत्तर प्रदेश।

(4) परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन और नाम-निर्देशन पूरा हो जाने के पश्चात् यथा शीघ्र राज्य सरकार यह अधिसूचित करेगी कि परिषद् का सम्यक् रूप से गठन कर दिया गया है ;

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (3) के खण्ड (छ) या खण्ड (ज) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का निर्वाचन पूरा होने के पूर्व भी इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी की जा सकती है।

4-राज्य सरकार परिषद् से, पदेन सदस्य से भिन्न, किसी भी ऐसे सदस्य को हटा सकती है जिसने उसके मतानुसार ऐसे सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा घोर दुरुपयोग किया हो कि जिससे परिषद् के सदस्य के रूप में उसका बने रहना जनहित के लिये हानिकर हो :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी सदस्य का पूर्वोक्त प्रकार से हटाने के पूर्व उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देगी और उसे हटाये जाने के कारणों को अभिलिखित करेगी।

सदस्यों का हटाया जाना

5-(1) पदेन सदस्यों से भिन्न किसी सदस्य की पदावधि धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे समस्त सदस्यों के पद की अवधि एक बार में छः मास से अनधिक समय के लिये इस प्रकार बढ़ा सकती है कि जिससे इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि कुछ मिलाकर एक वर्ष से अधिक न हो।

(2) परिषद् का कोई सदस्य जिस हैसियत से वह निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया गया हो उसकी समाप्ति पर ऐसा सदस्य न रहेगा और उसका स्थान तदुपरान्त रिक्त हो जायगा।

6-राज्य सरकार धारा 5 के अधीन सदस्यों की पदावधि की समाप्ति के पूर्व परिषद् के पुनर्गठन के लिये कार्यवाही करेगी।

7-(1) परिषद् की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी और उपधारा (2) और (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये वह अपनी बैठकों में कार्य-सम्पादन करने के लिए जिसके अन्तर्गत बैठकों की गण-पूर्ति भी है, ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जिनकी व्यवस्था इस निमित्त बनायी गयी उप विधियों द्वारा की जाय।

(2) अध्यक्ष, परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया परिषद् का कोई सदस्य उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) परिषद् की बैठक में उठने वाले समस्त प्रश्नों का निर्णय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायगा और मतों के बराबर होने की दशा में उक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति की एक दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

8-परिषद् या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही, परिषद् या समिति में केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या उसके संघटन में कोई त्रुटि होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

9-इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

(क) संस्कृत शिक्षा में प्रथमा, मध्यमा और उत्तर मध्यमा कक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, अन्य पुस्तक और शिक्षण सामग्री, यदि कोई हो, विहित करना ;

(ख) ऐसी पाठ्य-पुस्तक, अन्य पुस्तक या शिक्षण सामग्री में सब या किसी का, दूसरों का पूर्णतः या अंशतः अपवर्जन करके या अन्यथा प्रकाशन या निर्माण ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना;-

(एक) जिन्होंने ऐसी संस्था में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो जिसे परिषद् द्वारा विशेषाधिकार या मान्यता प्रदान किया गया हो; या

(दो) जो अध्यापक हो; या

(तीन) जिन्होंने विनियमों में निर्धारित की गई शर्तों के अधीन व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया हो और उन्हीं शर्तों के अधीन परिषद् की कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो;

(घ) प्रथमा, पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा पाठ्यक्रमों की समाप्ति पर परीक्षाओं का संचालन करना;

(ङ) अपनी परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना ;

(च) अपनी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को प्रवेश देना;

सदस्यों की पदावधि

पदावधि की समाप्ति पर रिक्तियों का भरा जाना

परिषद् के बैठकें

रिक्तियों आदि के कारण कार्य और कार्यवाहियां अविधिमान्य न होंगी

परिषद् का कृत्य

- (छ) ऐसे शुल्क मांगना और प्राप्त करना जो विनियमों में विहित किये जायं।
- (ज) अपनी परीक्षाओं के परिणाम या पूर्णतः या अंशतः प्रकाशन करना या रोकना;
- (झ) अन्य प्राधिकारियों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहयोग करना जो परिषद् अवधारित करे;
- (ञ) मान्यतः प्राप्त संस्थाओं या मान्यता के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं की स्थिति के बारे में निदेशक से रिपोर्ट मांगना;
- (ट) ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपने विचार भेजना जिससे वह सम्बन्धित हो;
- (ठ) बजट में सम्मिलित किये जाने के लिए प्रस्तावित ऐसी संस्थाओं से सम्बन्धित नई मांगों की अनुसूचियों को देखना, जिन्हें उसने मान्यता प्रदान की हो और यदि वह उचित समझे, तो उन पर अभिव्यक्त अपने विचारों की राज्य सरकार के विचारार्थ भेजना;

(ड) ऐसे अन्य समस्त कार्य और बातों का करना जो उत्तर मध्यमा तक की संस्कृत शिक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक निकाय के रूप में संघटित किए गये परिषद् के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हो;

(ढ) ऐसे सभी कार्य करना जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या आरोपित किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कृत्य का सम्पादन या कर्तव्य का पालन करने के लिए आवश्यक या सुविधाजनक अथवा आनुषंगिक हो।

**10—(1)** परिषद् को इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, वे सब अधिकार होंगे जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन तथा कर्तव्यों के पालन के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन तथा कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हों।

परिषद् के अधिकार

(2) विशेषतया तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद् के निम्नलिखित अधिकार होंगे,—

(एक) किसी ऐसे अभ्यर्थी की परीक्षा को रद्द करना या उसके परीक्षाफल को रोक लेना या उसे किसी भावी परीक्षा में बैठने से वर्जित कर देना, जिससे वह,—

(क) परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का; या

(ख) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए प्रार्थना-पत्र में कोई असत्य विवरण देने या महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य छिपाने का ; या

(ग) परीक्षा में कपट करने अथवा प्रतिरोपण का; या

(घ) उक्त परीक्षा में प्रवेश के नियमों का उल्लंघन करके परीक्षा में प्रवेश पाने का ; या

(ङ) परीक्षा के दौरान किसी घोर अनुशासनहीनता का, दोषी पाये;

(दो) खण्ड (1) के उपखण्ड (क) से (घ) तक में उल्लिखित सभी या किन्हीं कृत्यों के लिये या परीक्षाफल की घोषणा में परिषद् के किसी सदभावनापूर्ण भूल के कारण किसी अभ्यर्थी का परीक्षाफल रद्द करना;

(तीन) अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिये शुल्क नियत करना और उनको वसूल करने की रीति की व्यवस्था करना;

(चार) किसी ऐसी संस्था को मान्यता देने से इन्कार करना जो,—

(क) कर्मचारिवर्ग, शिक्षण, सज्जा या इमारत के लिए परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करती या उन्हें पूरा करने की स्थिति में नहीं है अथवा उन तक नहीं पहुंचती है; या

(ख) परिषद् द्वारा इस निमित्त निर्धारित मान्यता की शर्तों का पालन नहीं करती या उनका पालन करना नहीं चाहती;

(पांच) ऐसी संस्था की मान्यता वापस लेना जो कर्मचारिवर्ग, शिक्षण, सज्जा या इमारत के लिये परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं कर सकती या उनके अनुसार व्यवस्था नहीं कर सकती या जो परिषद् के सन्तोषानुसार मान्यता की शर्तों का पालन नहीं करती;

(छः) नियमों या विनियमों या परिषद् के निर्णयों, अनुदेशों अथवा निदेशों के किसी उल्लंघन के सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधानों से प्रतिवेदन मांगना और नियमों या विनियमों या परिषद् के निर्णयों, अनुदेशों या निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये ऐसी रीति से उचित कार्यवाही करना जो विनियमों द्वारा नियत की जाय;

(सात) यह सुनिश्चित करने के लिये मान्यता प्राप्त संस्था का निरीक्षण करना कि नियत पाठ्यक्रमों का यथोचित रूप से अनुसरण किया जाय और शिक्षण की सुविधाओं की यथोचित व्यवस्था की जाय तथा उनका यथोचित उपयोग हो; और

(आठ) उन विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या निश्चित करना जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था में पाठ्यक्रमों के लिये भर्ती किये जा सके।

(3) उपधारा (1) और (2) में उल्लिखित समस्त मामलों में परिषद् का निर्णय अन्तिम होगा।

**11**—धारा 10 के खण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी, परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी नये विषय या विषयों के वर्ग में या किसी उच्च कक्षा के लिये किसी संस्था को मान्यता प्रदान कर सकती है।

किसी नये विषय में या उच्च कक्षा के लिए किसी संस्था को मान्यता

**12**—जहां किसी संस्था द्वारा जिसमें राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से अनुरक्षित संस्था भी सम्मिलित है, अंशदान या दान, चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में, लिया या प्राप्त किया जाता है, वहां भी इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायगा जिसके लिये वह संस्था को दिया गया है और राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से अनुरक्षित संस्था की दशा में नकद अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाता में जमा किया जायगा जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायगा।

दान का उचित उपयोग

**13**—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में या किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम में किस बात के रहते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ की ओर से ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व राज्य में स्थित राजकीय संस्कृत विद्यालयों सहित ऐसी सभी संस्थायें जो उत्तर मध्यमा तक संस्कृत शिक्षा प्रदान कर रही हों और राजकीय संस्कृत विद्यालय, वाराणसी या सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध या उनके द्वारा मान्यता प्राप्त हो इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त समझी जायेंगी और उक्त राजकीय विद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या उनके द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं रह जायेंगी और इस अधिनियम के उपबन्धों में शासित होगी :

अधिनियम का लागू होना

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त राजकीय विद्यालय या विश्वविद्यालय ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व ऐसी संस्था में प्रथमा, पूर्व मध्यमा, या उत्तर मध्यमा के पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों की परीक्षा लेगा और उसे ऐसे व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करने की शक्ति होगी।

14-(1) राज्य सरकार को परिषद् द्वारा संचालित अथवा किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में परिषद् को सम्बोधित करने तथा किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिससे परिषद् सम्बन्धित हो, परिषद् को अपने विचार सूचित करने का अधिकार होगा।

राज्य सरकार का अधिकार

(2) परिषद्, राज्य सरकार को उसके पत्र पर की गई अथवा की जाने के निमित्त प्रस्तावित कार्यवाही की, यदि कोई हो सूचना देगा।

(3) यदि परिषद्, उचित समय के भीतर राज्य सरकार के सन्तोषानुसार कार्यवाही न करे तो परिषद् द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी स्पष्टीकरण या उसके द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार इस अधिनियम से संगत ऐसे निदेश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे और परिषद् ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

(4) जब कभी राज्य सरकार की राय में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक या समीचीन हों, तो वह परिषद् को पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन कोई निदेश दिये बिना इस अधिनियम से संगत ऐसा आदेश दे सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे, और विशिष्टतः ऐसे आदेश द्वारा किसी विषय से सम्बन्धित किसी विनियम का परिष्कार, विखण्डन या रचना कर सकती है और तदनुसार परिषद् को तत्काल सूचना देगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही पर आपत्ति नहीं की जायेगी।

15-इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ परिषद् उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जिन्हें राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, वह उचित समझे नियुक्त कर सकती है।

परिषद् के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

16-(1) परिषद् के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि यह अधिनियम का और विनियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है और उसे तत्प्रयोजनार्थ आवश्यक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे।

परिषद् के अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य

(2) परिषद् के अध्यक्ष को परिषद् की बैठक बुलाने या अधिकार होगा और यह यथोचित सूचना देने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे अधियाचन पर जिस पर परिषद् की कुल सदस्यता के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हों तथा जिसमें बैठक में सम्पादित किये जाने वाले कार्य का उल्लेख हो, बैठक बुलायेगा।

(3) परिषद् के प्रशासनिक कार्य के सम्बन्ध में पैदा होने वाली किसी ऐसी आपातिक स्थिति में जिसमें उसके अध्यक्ष के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित हो, अध्यक्ष ऐसी कार्यवाही करेगा जो वह आवश्यक समझे और उसके पश्चात् परिषद् को उसकी अगली बैठक में किये गये कार्यवाही की सूचना देगा।

(4) परिषद् का अध्यक्ष ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो विनियम द्वारा विहित किये जाय।

17-परिषद् का सचिव, परिषद् का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और परिषद् के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए उसके विनिश्चयों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा। वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो नियमों द्वारा विहित किये जाय और विशेषतया, वह—

परिषद् के सचिव के अधिकार और कर्तव्य

(क) वार्षिक प्राक्कलन और लेखा-विवरण तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि समस्त धनराशियां उन्हीं प्रयोजनों के लिए व्यय की जायं जिनके लिए वे स्वीकृत या प्रदिष्ट की गयी हों;

(ग) परिषद् की बैठकों के कार्यवृत्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा; और

(घ) परीक्षाओं के संचालन के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हो ;

(ङ) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जाये।

18-(1) परिषद् निम्नलिखित समितियों को नियुक्त करेगा और राज्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए ऐसी भिन्न-भिन्न समितियां नियुक्त की जा सकती हैं, अर्थात् :-

समितियों और उप समितियों की नियुक्ति और संघटन

- (क) पाठ्यक्रम समिति,
- (ख) परीक्षा समिति,
- (ग) परीक्षाफल समिति,
- (घ) मान्यता समिति, और
- (ङ) वित्त समिति।

(2) ऐसी समितियों में केवल परिषद् के सदस्य ही सम्मिलित होंगे, और इनका गठन इस प्रकार होगा कि प्रत्येक समिति में यथा सम्भव निम्नलिखित वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के एक-एक सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया जा सके :-

- (क) संस्थाओं के प्रधानाचार्य या प्रधान,
- (ख) अध्यापक;
- (ग) राज्य की विधान सभा के सदस्य,
- (घ) राज्य की विधान परिषद् के सदस्य,
- (ङ) शिक्षाविद्,

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् का कोई सदस्य इन समितियों में से एक से अधिक प्रकार की समिति का सदस्य नहीं होगा, और समिति के सदस्यों का कार्यकाल उनकी परिषद् की सदस्यता के साथ समाप्त होगा।

(3) उपधारा (1) के उल्लिखित समितियों के अतिरिक्त, परिषद् ऐसी अन्य समितियां या उप समितियां, जो विनियमों द्वारा विहित की जायें, नियुक्त कर सकती है।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त समितियों और उप समितियों का गठन ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धन और शर्तों पर होगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

19-परिषद्, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि विनियमों के बनाने के अधिकार के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी अधिकार का प्रयोग सभापति या ऐसी समिति या अधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें निर्दिष्ट की जायें, किया जा सकता है।

प्रत्यायोजन का अधिकार

20-केन्द्र अधीक्षक और अन्तरीक्षक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

केन्द्र अधीक्षक और अन्तरीक्षक लोक सेवक होंगे

21-(1) परिषद् इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ विनियम बना सकती है।

परिषद् का विनियम बनाने का अधिकार

(2) विशेषतया और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद् निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था करने के लिए विनियम बना सकती है, अर्थात् :-

- (क) समितियों और उप समितियों का संघटन उनके अधिकार और कर्तव्य;
- (ख) डिप्लोमाओं तथा प्रमाण-पत्र का प्रदान करना ;
- (ग) संस्थाओं को मान्यता प्रदान किये जाने की शर्तें;
- (घ) समस्त प्रमाण-पत्रों और डिप्लोमाओं के निर्धारित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;
- (ङ) वे शर्तें जिनके अधीन अभ्यर्थी परिषद् की परीक्षाओं में प्रविष्ट किये जायेंगे और डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के पाने के पात्र होंगे;
- (च) परिषद् की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए शुल्क;

(छ) परीक्षाओं का संचालन;

(ज) परिषद् की परीक्षाओं के सम्बन्ध में परीक्षकों, प्रश्न-पत्र परिष्कारकों तुलनाकारों, परिनिरीक्षकों, सारिणीकारों, केन्द्र निरीक्षकों, केन्द्र के अधीक्षकों और अन्तरीक्षकों की नियुक्ति और उनके अधिकार और कर्तव्य और उनके पारिश्रमिक की दरें;

(झ) मान्यता के विशेषाधिकारों के लिए संस्थाओं का प्रविष्ट किया जाना और मान्यता का वापस लेना;

(ञ) ऐसे समस्त विषय जिनकी विनियमों द्वारा व्यवस्था की जानी हो या की जा सके।

**22**—(1) धारा 21 के अधीन विनियम केवल राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाए जायेंगे और गजट में प्रकाशित किये जायेंगे।

परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों का प्रकाशन और पूर्व अनुमोदन

(2) राज्य सरकार परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी ऐसे विनियम को परिष्कार सहित या परिष्कार रहित अनुमोदित कर सकती है।

**23**—(1) किसी विधि, लेख्य या किसी न्यायालय को डिक्री या आदेश या अन्य संलेख में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रत्येक संस्था के लिए एक प्रशासन योजना होगी, चाहे उसे संस्था को इस अधिनियम के प्रारम्भ के पहले मान्यता प्रदान की गयी हो या उसके बाद में। प्रशासन योजना द्वारा अन्य विषयों के साथ-साथ एक प्रबन्ध समिति के संघटन की व्यवस्था की जायगी जिसमें संस्था के मामलों के प्रबन्ध और संचालन का प्राधिकार निहित होगा। संस्था के प्रधान और उसके दो अध्यापक, जो ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से विनियमों द्वारा विहित रीति से चुने जायेंगे, प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे और उन्हें मत देने का अधिकार होगा।

प्रशासन योजना

(2) जब भी कभी प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य के वैयक्तिक आचरण से सम्बन्धित किसी आरोप पर विचार किया जा रहा हो तब वह सदस्य न तो समिति की बैठक में भाग लेगा और न अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा।

(3) विनियमों के अधीन रहते हुए, प्रशासन योजना में संस्था के प्रधान और संस्था के संबंध में प्रबन्ध समिति के अलग-अलग अधिकार, कर्तव्य और कृत्य भी बताये जायेंगे।

(4) किसी निकाय या प्राधिकारी द्वारा एक से अधिक मान्यता प्राप्त संस्थाओं का अनुरक्षण किये जाने की दिशा में प्रत्येक संस्था के लिए उस समय तक अलग-अलग प्रबन्ध समिति होगी जब तक कि विनियमों में संस्थाओं के किसी वर्ग विशेष के लिए अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो।

(5) प्रत्येक संस्था की प्रशासन योजना निदेशक के अनुमोदन के अधीन होगी और प्रशासन योजना में किसी भी समय कोई संशोधन या परिवर्तन निदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायगा:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी संस्था का प्रबन्धाधिकरण प्रशासन योजना में कोई संशोधन या परिवर्तन का अनुमोदन न करने के निदेशक के आदेश से व्यथित हो तो प्रबन्धाधिकरण के अभ्यावेदन पर यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि प्रशासन योजना में प्रस्तावित संशोधन या परिवर्तन संस्था के हित में है तो वह निदेशक को उसका अनुमोदन करने का आदेश दे सकती है और तदुपरान्त निदेशक तदनुसार कार्यवाही करेगा।

(6) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था का प्रबन्ध उपधारा (1) से उपधारा (5) के अधीन और उनके अनुसार बनायी गयी प्रशासन योजना के अनुसार किया जायगा।

(7) जब भी किसी संस्था के प्रबन्धतन्त्र के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो ऐसे व्यक्तियों से, जिनका सम्भागीय संयुक्त निदेशक द्वारा ऐसी जांच करने पर जैसी वह उचित समझे ऐसी संस्था के कार्यकलापों पर वास्तविक नियन्त्रण पाया जाय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति के गठन की तब तक मान्यता प्रदान की जायगी जब तक की सक्षम अधिकारिता को कोई न्यायालय अन्यथा निदेश न दे :

प्रतिबन्ध यह है कि सम्भागीय संयुक्त निदेशक इस उपधारा के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व, विरोधी दावेदारों को लिखित अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

**स्पष्टीकरण :-**इस प्रश्न का अवधारण करने में कि संस्था पर वास्तविक नियन्त्रण किसका है, सम्भागीय संयुक्त निदेशक संस्था की निधि और उसके प्रशासन पर नियन्त्रण, उसकी सम्पत्ति से आय की प्राप्ति, उपधारा (5) के अधीन अनुमोदित प्रशासन योजना और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा।

**24-(1)** निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद या उपनिरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें (सम्भागीय) अपनी अधिकारिता के भीतर संस्थाओं के निरीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

संस्थाओं का  
निरीक्षण और दोषों  
का दूर किया जाना

(2) निदेशक, उप निदेशक, संस्कृत और सम्भागीय संयुक्त निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी भी किसी संस्था का निरीक्षण कर सकता है या उसका निरीक्षण करा सकता है।

(3) निदेशक, निरीक्षण के समय या अन्य प्रकार से पायी गयी किसी त्रुटि या कमी का निराकरण करने के लिए संस्था के प्रबन्धतन्त्र को निदेश दे सकता है।

(4) यदि प्रतिबन्ध उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी निदेश का पालन करने में असफल रहे तो निदेशक, प्रबन्धतन्त्र द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्,—

(क) मान्यता वापस लेने के लिए मामले को परिषद् के पास अभिदिष्ट कर सकता है; या

(ख) उपधारा (5) के अधीन संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है।

(5) यदि उपधारा (4) के खण्ड (ख) में अभिदिष्ट सिफारिश के प्राप्त होने पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि संस्था के हित में यह आवश्यक है कि उस संस्था प्रबन्ध किसी प्राधिकृत नियंत्रण को सौंप दिया जाय तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय एक प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर सकती है और वह प्राधिकृत नियंत्रक प्रबन्ध समिति या अन्य किसी भी व्यक्ति को अपवर्जित कर संस्था का प्रबन्ध, जिसके अन्तर्गत संस्था की या उसमें निहित भूमि, भवन, निधि और अन्य परिसम्पत्तियां भी है, अपने हाथ में ले सकता है, और कभी प्राधिकृत नियंत्रक इस प्रकार प्रबन्ध अपने हाथ में ले जो उसे, केवल ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार आरोपित करे, संस्था के प्रबन्ध के सम्बन्ध में सभी शक्तियां और प्राधिकार होंगे जो प्रबन्ध समिति को होते, यदि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश न दिया गया होता।

(6) उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश प्रथमतः एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य की यह राय हो कि संस्था का समुचित प्रबन्ध बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसा करना इष्टकर है तो वह समय-समय पर आदेश के प्रवर्तन को एक बार में एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा वह निर्दिष्ट करे, बढ़ा सकती है किन्तु इस प्रकार आदेश के प्रवर्तन की कुल अवधि जिसके अन्तर्गत उपधारा (5) के अधीन प्रारम्भिक आदेश में निर्दिष्ट अवधि भी है, पांच वर्ष से अधिक न हो:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संस्था की विधिपूर्वक संघटित कोई प्रबन्ध समिति न हो तो प्राधिकृत नियंत्रक इस रूप में तब तक कार्य करता रहेगा जब तक कि राज्य सरकार का यह समाधान न हो जाय कि प्रबन्ध समिति विधिपूर्वक संघटित हो गयी है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार उपधारा (5) या इस उपधारा के अधीन दिये गये किसी आदेश को किसी समय विखण्डित कर सकती है।

(7) कोई प्राधिकृत नियंत्रक सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करने में अपने द्वारा सद्भावना से किये गये कृत्यों के लिए वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी न होगा।

(8) उपधारा (5) के अधीन दिया गया कोई आदेश संस्था के प्रबन्ध और नियन्त्रण, जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है, से सम्बन्धित या संस्था की या उसमें निहित किसी सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियमिति या संलेख में तत्सम्बन्धी कोई असंगत बात अन्तर्विष्ट होने पर भी प्रभावी होंगे।

(9) उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन मान्यता वापस लेने के लिए परिषद् द्वारा दिये गये किसी आदेश और उपधारा (5) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी।

(10) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार या प्राधिकृत नियंत्रक की प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के अतिरिक्त होंगी और उनका अल्पीकरण करने वाली न होंगी।

**25**—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संस्था के प्रधान और संस्था के अध्यापक और अन्य कर्मचारी विनियमों के अनुसार नियुक्त किये जायेंगे।

संस्था के प्रधान, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया

**26**—(1) किसी संस्था में सेवा योजित प्रत्येक व्यक्ति सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होगा जो विनियमों द्वारा विहित की जायं और प्रबन्धतंत्र और ऐसे कर्मचारियों के बीच किया गया कोई करार, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से या विनियमों से असंगत हो, शून्य होगा।

संस्था के प्रधान अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदान किये गये अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विनियमों में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की जा सकती है,—

(क) आचार संहिता, परिवीक्षा की अवधि, स्थायीकरण की शर्तें और पदोन्नति तथा दण्ड देने की प्रक्रिया और शर्तें, जिसके अन्तर्गत जांच या अपेक्षित जांच होने तक या नैतिक पतन समन्वित किसी अपराध के लिए किसी दाण्डिक मामले में अन्वेषण, जांच या विचारण किये जाने तक निलम्बन भी है तथा निलम्बन भी है तथा निलम्बन की अवधि के लिए उपलब्धियां और नोटिस देकर सेवा का समाप्त किया जाना सम्मिलित है;

(ख) वेतन क्रम और वेतनों का भुगतान ;

(ग) एक मान्यता प्राप्त संस्था से दूसरों में सेवा का स्थानान्तरण;

(घ) छुट्टी प्रदान करना और भविष्य निधि और अन्य लाभ; और

(ङ) कार्य और सेवा के अभिलेख का रखा जाना।

(3) (क) संस्था का कोई प्रधान या अध्यापक, सम्भागीय संयुक्त निदेशक की लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति के बिना न तो सेवोन्मुक्त किया या सेवा से हटाया या पदच्युत किया जा सकता है न पवितच्युत किया जा सकता है और न ही उसकी उपलब्धियों में कोई कमी की जा सकती है और न उसे सेवायें समाप्त करने का नोटिस दिया जा सकता है।

(ख) सम्भागीय संयुक्त निदेशक प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तावित दण्ड के स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है या उसे घटा बढ़ा सकता है या सेवायें समाप्त करने के नोटिस की स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि दण्ड के मामलों में सम्भागीय संयुक्त निदेशक आदेश जारी करने के पूर्व संस्था के प्रधान या अध्यापक को इस बात का एक अवसर देगा कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से एक पखवारे के भीतर कारण बतावें कि उसे प्रस्तावित दण्ड क्यों न दिया जाय।

(ग) कोई पक्ष खण्ड (ख) के अधीन किसी सम्भागीय संयुक्त निदेशक के आदेश के विरुद्ध आदेश की सूचना पाने के दिनांक से एक माह के भीतर निदेशक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है और निदेशक ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे आदेश की पुष्टि कर सकता है उसे रद्द या परिष्कृत कर सकता है और निदेशक का आदेश अन्तिम होगा।

(4) किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक प्रबन्धतंत्र द्वारा निलम्बित नहीं किया जायगा जब तक कि प्रबन्धतंत्र की राय में,—

(क) उसके विरुद्ध आरोप इतने गम्भीर न हों कि उससे उसको पदच्युत करना, पद से हटाना पवित्तच्युत करना उचित समझा जाय ; या

(ख) उसके पद पर बने रहने से उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों के संचालन में बाधा पड़ने या उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो; या

(ग) उसके विरुद्ध किसी ऐसे अपराध के लिए दण्ड विषयक मामला अन्वेषण, जांच व निरीक्षण के अधीन है, जिसमें नैतिक अधमता सन्निहित हो।

(5) जब कभी प्रबन्ध समिति द्वारा किसी संख्या का प्रधान या अध्यापक निलम्बित किया जाय तब उसकी सूचना निलम्बन के आदेश के दिनांक से सात दिन के भीतर सम्भागीय संयुक्त निदेशक को दी जायेगी और सूचना के साथ ऐसे विवरण जो विनियमों द्वारा विहित किये जाये संलग्न होंगे और उसके साथ सभी सुसंगत दस्तावेज होंगे।

(6) निलम्बन का कोई आदेश जब तक कि सम्भागीय संयुक्त निदेशक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित न हो उस आदेश के दिनांक से साठ दिन से अधिक अवधि के लिए प्रवृत्त न रहेगा और सम्भागीय संयुक्त निदेशक का आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी।

(7) यदि किसी समय सम्भागीय संयुक्त निदेशक का यह समाधान हो जाय कि संस्था के प्रधान या अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में संस्था के प्रधान या अध्यापक के किसी दोष के बिना विलम्ब किया जा रहा है तो सम्भागीय संयुक्त निदेशक प्रबन्धतंत्र को अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् इस धारा के अधीन दिए गये निलम्बन के आदेश को प्रतिसंहत कर सकता है।

**27**—परिषद् या परिषद् द्वारा नियुक्त किसी समिति के सदस्यों में, पदेन सदस्यों के अतिरिक्त होने वाली समस्त रिक्तियों की पूर्ति यथाशाक्य शीघ्र उस व्यक्ति या निकाय द्वारा की जाएगी जिसने उस सदस्य को निर्वाचित या नाम—निर्दिष्ट किया हो जिसका स्थान रिक्त हुआ हो और किसी अकस्मिक रिक्ति में निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट किया गया कोई व्यक्ति, परिषद् या समिति का उस शेष अवधि के लिए सदस्य रहेगा जिसके लिए वह व्यक्ति सदस्य रहता जिसके स्थान में उसकी नियुक्ति हुई हो।

आकस्मिक रिक्तियां

**28**—(1) परिषद् और उसकी समितियां इस अधिनियम, नियमों और विनियमों से संगत उपविधियां बना सकती हैं, जिनमें,—

परिषद् और  
समितियों का  
उपविधियां बनाने  
का अधिकार

(क) उनकी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाय;

(ख) ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जिनकी उपविधियों द्वारा व्यवस्था की जानी हो, या की जा सके;

(ग) केवल परिषद् और उसकी समितियों से सम्बन्धित ऐसे अन्य समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जिनकी इस अधिनियम, नियमों और विनियमों द्वारा व्यवस्था न की गयी हो।

(2) परिषद् और उसकी समितियां परिषद् या समिति के सदस्यों को परिषद् या समिति की बैठकों के दिनांक और उनमें सम्पादित किये जाने वाले कार्य की सूचना देने और बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखने की व्यवस्था करने के लिए उपविधियां बनायेगी।

(3) परिषद् समिति द्वारा इस धारा के अधीन बनाई गयी किसी उपविधि में संशोधन या विखण्डन का निदेश दे सकती है और समिति ऐसे निदेश को कार्यान्वित करेगी।

**29**—राज्य सरकार, परिषद् या उसकी किसी समिति और उपसमिति या परिषद् या किसी समिति या उपसमिति के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसे कार्य के संबंध में नहीं की जा सकती है जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गये किसी नियम, विनियम, उपविधि दिये गये आदेश या निदेश के अनुसरण में सदभावना से किया गया हो या किये जाने के लिए अभिप्रेत हो।

सदभावना से किए  
गए कार्य के लिए  
संरक्षण

**30**—इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी अधिकार के प्रयोग में परिषद् या उसकी किसी समिति या उपसमिति द्वारा दिये गये किसी आदेश या निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी।

न्यायालयों के  
अधिकार क्षेत्र पर  
रोक

**31**—(1) परिषद् की अपनी निधि होगी और परिषद् को प्राप्त सभी धनराशियां उसमें जमा की जायेंगी और परिषद् के सभी भुगतान उसी से किये जायेंगे।

परिषद् की निधि

(2) राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् को इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों या प्रयोजनों के लिए ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, व्यय करने की शक्ति होगी।

**32**—(1) परिषद् उचित लेखा और अन्य संगत अभिलेख रखेगी और ऐसे प्रपत्र में जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे वार्षिक लेखा विवरण पत्र तैयार करेगी।

लेखा और लेखा  
परीक्षा

(2) परिषद् एक वार्षिक विवरण-पत्र तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

(3) परिषद् के लेखों की परीक्षा ऐसे प्राधिकारी द्वारा की जायगी जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।

(4) लेखा परीक्षा प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित परिषद् के लेखे और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जायेंगे।

**33**—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, कर सकती है जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समोचीन प्रतीत हों।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायगा।

(3) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23—क की उपधारा (1) के उपबन्ध उपधारा (1) उपबन्ध उपधारा (1) अधीन किये गये आदेश पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं।

**34**—राज्य सरकार, अधि सूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

उ0प्र0  
अध्यादेश  
संख्या 15,  
2000

**35**—(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

### उद्देश्य और कारण

राज्य में संस्कृत शिक्षा प्रदान कर रही संस्थाओं की समस्याओं के समाधान के लिये श्री पी0पी0 बैरिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति ने अन्य संस्तुतियों के साथ राज्य में एक पृथक माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् के स्थापना की संस्तुति की थी। उक्त समिति की रिपोर्ट पर सम्यक् विचारोपरान्त यह विनिश्चय किया गया कि उक्त परिषद् की स्थापना हेतु विधि बनाई जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2000 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद अध्यादेश, 2000 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2000) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।